महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY
A State University-Government of Uttar Pradesh;NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./प्रशा./2026/493 दिनांक : 29.06.2026

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
   विश्वविद्यालय परिसर।
2. प्राचार्य/प्राचार्या,
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, एम.जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

महोदय/महोदया,

विशेष कार्याधिकारी श्री राज्यपाल/कुलाधिपति, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संलग्न पत्र संख्या–ई–4072/32–जी.एस./2026, दिनांक 21.06.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है, साथ ही जारी दिशा–निर्देशों पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्तमान समय में सिंगल–यूज प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए जनभवन द्वारा निम्नानुसार दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं–

i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे–प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलिथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैण्टीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को ''प्लास्टिक मुक्त परिसर'' की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जायें।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कालेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चालाया जाएगा।

अतः कृपया उक्तानुसार जनभवन द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों को माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 26.06.2026 के अनुपालन में विश्वविद्यालय परिसर के समस्त भवनों एवं विभागों/कार्यालयों/छात्रावासों तथा महाविद्यालय परिसर के समस्त भवनों एवं विभागों/कार्यालयों/छात्रावासों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय

कुलसचिव
29/6/26

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. चीफ प्रॉक्टर/समस्त प्रॉक्टर्स/चीफ वार्डन/समस्त वार्डन/समस्त निदेशक।
4. सचिव, क्रीड़ा परिषद।
5. समन्वयक, साफ–सफाई एवं बागवानी।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
7. कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना अनुभाग।
8. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
9. मीडिया प्रभारी।
10. उप कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)।
11. सहायक कुलसचिव (प्रशा0/वित्त)।
12. निजी सचिव–कुलपति।
13. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/अनुभाग प्रभारी।
14. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट।
15. नोटिस बोर्ड।

उप कुलसचिव
(प्रशासन)

ई–मेल द्वारा

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्या:ई-4072 /32-जी.एस/2026
दिनांक: 21/06/ ,2026

प्रेषक:

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति/निदेशक,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

कृपया अवगत कराना है कि माननीय कुलाधिपति महोदया ने पर्यावरण संरक्षण, छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य तथा परिसर को स्वच्छ व हरित बनाने के उद्देश्य से गहरी चिन्ता और संवेदनशीलता व्यक्त की है।

2. वर्तमान समय में सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (Single-Use Plastic) पर्यावरण के लिए एक गम्भीर चुनौती बन चुका है। युवा पीढ़ी को इसके प्रति जागरूक करने और समाज में एक सकारात्मक सन्देश देने के लिए हमारे उच्च शिक्षण संस्थान सबसे सशक्त माध्यम हैं।

3. माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएं सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं:–

i. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसर, प्रशासनिक भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्बद्ध महाविद्यालयों के भीतर सिंगल–यूज़ प्लास्टिक (जैसे– प्लास्टिक की बोतलें, कप, प्लेट, चम्मच, पॉलीथीन बैग आदि) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबन्धित किया जाए।

ii. विश्वविद्यालय/संस्थान तथा उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों के परिसरों में स्थित कैंटीन, हॉस्टल और कार्यक्रमों में प्लास्टिक के स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़, कागज/पत्ते के बने बर्तन, जूट या कपड़े के थैलों और कांच/स्टील के बर्तनों के उपयोग को अनिवार्य रूप से बढ़ावा दिया जाए।

iii. नए सत्र के प्रारम्भ में समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र–छात्राओं को "प्लास्टिक मुक्त परिसर" की शपथ दिलाई जाए तथा परिसरों में इस सम्बन्ध में जागरूकता बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं।

iv. परिसरों में 'बायो–डिग्रेडेबल' (गीला कचरा) और 'नॉन–बायो–डिग्रेडेबल' (सूखा कचरा) के लिए अलग–अलग डस्टबिन की व्यवस्था की जाए और प्लास्टिक कचरे के रीसाइक्लिंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित हो।

v. इस निर्देश के कड़ाई से अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय/संस्थान स्तर पर एक 'प्लास्टिक–मुक्त निगरानी समिति' (Task Force) का गठन किया जाए, जो समय–समय पर परिसरों और सम्बद्ध कॉलेजों का औचक निरीक्षण करें।

vi. परिसरों को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह के किसी एक दिन (जैसे प्रत्येक शनिवार/शुक्रवार) निर्धारित किया जाए, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/संस्थानों

एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अपने समस्त भवनों, विभागों, छात्रावासों और सम्पूर्ण परिसर आदि में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा।

4. अतएव इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त प्रस्तर–3 के बिन्दु **i** से **vi** तक उल्लिखित अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। माननीय कुलाधिपति महोदया एवं जन भवन, उ.प्र. के अधिकारियों द्वारा दीक्षान्त समारोह के समय इन सभी व्यवस्थाओं और साप्ताहिक सफाई का निरीक्षण किया जाएगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज एल. जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी